ए.

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और ओआरएस।

वी.

कैप्ट। गुरुदर्शन कौर संधू (2019 की सिविल अपील No.6567)

बी.

22 अगस्त, 2019

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

सेवा कानून-त्यागपत्र वापस लेना-प्रत्यर्थी अपीलार्थी-कंपनी में एक पायलट के रूप में काम कर रहा था-प्रत्यर्थी ने ई-मेल के माध्यम से अपीलार्थी को अपना इस्तीफा सूचित किया-उसके इस्तीफे को देखते हुए, अपीलार्थी ने एक प्रतिस्थापन पायलट को नियुक्त किया-<आईडी1 पर, प्रत्यर्थी द्वारा भेजा गया इस्तीफा अपीलार्थीगण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था-इसके बाद <आईडी3 पर, प्रत्यर्थी ने एक ई-मेल भेजा और अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग की-त्यागपत्र वापस लेने के लिए उसका अनुरोध अपीलार्थीगण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था-प्रत्यर्थी द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया इस्तीफा वास्तव में सेवा से मुक्त होने से पहले उसके द्वारा वापस लिया जा सकता है-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील परयह तय किया जाता है कि आम तौर पर, जब तक इस्तीफा प्रभावी नहीं हो जाता है, एक कर्मचारी के लिए अपना इस्तीफा वापस लेना खुला है-इस्तीफा कब प्रभावी होगा, यह शासी सेवा नियमों और/या कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों पर निर्भर कर सकता है-तत्काल मामले में, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के प्रावधानों और नियुक्ति की शर्तों में विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता की सेवाओं को छोड़ने की इच्छा रखने पर छह महीने का नोटिस देगा-अंतर्निहित सिद्धांत और अनिवार्य नोटिस अवधि की शर्त के पीछे मूल विचार सार्वजनिक हित है-नौकरी प्रोफ़ाइल की प्रकृति से एक पायलट के लिए प्रतिस्थापन इतनी आसानी से नहीं आता है और इसलिए, छह महीने की अवधि-सीएआर इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इसके लिए काफी खर्च की आवश्यकता होगी और

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

980 ए.

981

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू ए

इस तरह के दायित्व और प्रतिस्थापन का निर्वहन करने के लिए अपीलकर्ता पाया गया-इसलिए, तत्काल मामला अपवाद के भीतर होगा

गोपाल चंद्र मिश्रा और बलराम गुप्ता के निर्णयों में निर्धारित,

और प्रत्यर्थी इस्तीफा वापस नहीं ले सकता था-एयर क्राफ्ट एक्ट, 1934-ss।5,7 और 8 (2)-भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 -धारा 4-वायुयान नियम, 1937-भाग 12।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर, जब तक इस्तीफा प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारी अपना इस्तीफा वापस ले सकता है।त्यागपत्र कब प्रभावी होगा, यह शासी सेवा विनियमों और/या कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों पर निर्भर हो सकता है।जैसा कि गोपाल चंद्र मिश्रा में कहा गया है, "कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी नहीं होने पर" या "कानूनी संविदात्मक या संवैधानिक प्रतिबंध के अभाव में, एक 'संभावित त्यागपत्र' को प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।"इसके अलावा, जैसा कि बलराम गुप्ता में निर्धारित किया गया है, "यदि प्रशासन ने उनके इस्तीफे या सेवानिवृत्ति पत्र पर कार्रवाई करते हुए अन्य कर्मचारी को उनकी नौकरी के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी, तो यह अलग बात होगी।" [पैरा 11] [1001-ई-जी]

सी.

डी.

ई.

2. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में यह मुद्दा कि क्या प्रत्यर्थी अपना त्याग पत्र वापस ले सकती थी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों पर निर्भर करता हैः क) क्या नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सी. ए. आर.) में सूचना अवधि की शर्त का उद्देश्य कर्मचारी के हितों की रक्षा करना है?; और

एफ.

ख) क्या सी. ए. आर. के प्रावधान और उसमें निर्धारित शासी सिद्धांत गोपाल चंद्र मिश्रा और बलराम गुप्ता मामलों में निर्धारित अपवाद के भीतर आने वाले विशेष प्रावधानों की प्रकृति में हैं, जिससे प्रत्यर्थी अपना इस्तीफा वापस लेने से अक्षम हो जाता है?[पैरा 12] [1001-जी-एच; 1002-ए-बी]3. सीएआर स्वीकार करता है कि एक विमान को संचालित करने के लिए एक पायलट को प्रशिक्षित करने में काफी समय लगता है और प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में, नए पदधारी को तकनीकी और प्रदर्शन परीक्षाओं को पास करने की आवश्यकता होगी और उसे सिम्युलेटर से गुजरना होगा

जी.

एच.

और उड़ान प्रशिक्षण और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल परीक्षण करना।इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद भी, उक्त व्यक्ति केवल सह-पायलट के रूप में काम करेगा जब तक कि वह एक पायलट के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता।सीएआर का कहना है कि छह महीने की न्यूनतम सूचना के बिना इस्तीफे के परिणामस्वरूप अंतिम समय में उड़ानें रद्द हो सकती हैं और यात्रियों को परेशान किया जा सकता है।चूँकि पायलट अत्यधिक कुशल कर्मी होते हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि पायलटों की ओर से छह महीने की न्यूनतम सूचना अवधि के बिना एयरलाइनों से इस्तीफे सहित किसी भी कार्य को जनहित के खिलाफ कार्य माना जाएगा।[पैरा 13] [1002-सी-डी]

बी.

4. अनिवार्य सूचना अवधि को निर्धारित करने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत और मूल विचार जनहित है।यह कर्मचारी के हित की रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए है।यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतिम समय में उड़ानें रद्द न हों जिससे यात्रियों को भारी असुविधा न हो।यही कारण है कि संबंधित पायलट को नोटिस अवधि की समाप्ति तक सेवा करने की आवश्यकता होती है।यदि संबंधित पायलट को एन. ओ. सी. दी जाती है और नोटिस की अवधि

समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो नोटिस की अवधि कम हो सकती है।किसी मामले में, यह संभव हो सकता है कि पायलट को बदलने के लिए प्रशिक्षित श्रमशक्ति, जिसने इस्तीफा दे दिया था, ऐसी सूचना अवधि की समाप्ति से पहले उपलब्ध कराई जा सकती है, जिस स्थिति में नियोक्ता को सीएआर के खंड 3.7 के तहत एक विकल्प दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी, मार्गदर्शक विचार या मापदंड जनहित है।[पैरा 14] [1003-ए-सी]

सी.

डी.

ई.

5. इसलिए, सूचना अवधि की शर्त केवल लोक हित को कम करने के लिए है और इसे हवाई परिवहन उपक्रम या नियोक्ता को एक उपयुक्त प्रतिस्थापन या विकल्प खोजने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है।नौकरी प्रोफ़ाइल की प्रकृति से एक पायलट के लिए एक प्रतिस्थापन इतनी आसानी से नहीं आता है और इसलिए, छह महीने की अवधि।सीएआर इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संबंधित प्रतिस्थापन को एक योग्य विकल्प बनने से पहले प्रशिक्षित करने के लिए काफी खर्च और प्रयासों की आवश्यकता होगी।नोटिस अवधि हवाई परिवहन उपक्रम या नियोक्ता को उस दिशा में खुद को तैयार करने में सक्षम बनाती है और उसे एक विकल्प या प्रतिस्थापन खोजने के लिए बाध्य करती है।एक उपयुक्त प्रतिस्थापन ए खोजने का दायित्व

एफ.

जी.

एच.

983

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू ए

इस्तीफे का पत्र मिलने के तुरंत बाद शुरू होता है।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा ऐसे दायित्व के निर्वहन के लिए कदम उठाए गए और प्रतिस्थापन पाया गया।सामान्य सिद्धांत कि एक कर्मचारी इस्तीफे के प्रभावी होने से पहले किसी भी समय अपना इस्तीफा वापस ले सकता है, इसलिए सीएआर के मूल सिद्धांतों के अधीन होगा। इसलिए, तत्काल मामला गोपाल चंद्र मिश्रा और बलराम गुप्ता के निर्णयों में निर्धारित अपवाद के भीतर होगा, और प्रत्यर्थी इस्तीफा वापस नहीं ले सकता था।[पैरा 14] [1003-डी-जी]

बी.

भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एससीसी

301 :[1978] 3 एस. सी. आर. 12-अनुसरण किया गया।

सी.

बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य (1987)

पूरक।एससीसी 228:[1987] एस. सी. आर. 1173; जय राम बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 584; राज कुमार बनाम भारत संघ [1968] 3 एस. सी. आर. 857-पर भरोसा किया गया।

श्रीकांत एस. एम. वी.भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (2005) 8

डी.

एससीसी 314:[2005] 4 पूरक।एससीआर 156; जे. एन. श्रीवास्तव

भारत संघ और अन्य (1998) 9 एस. सी. सी. 559; शंभू मुरारी सिन्हा बनाम परियोजना और विकास

इंडिया लिमिटेड और एक अन्य (2002) 3 एस. सी. सी. 437:[2002]

2 एससीआर 396; पी. कासिलिंगम बनाम पी. एस. जी. कॉलेज ऑफ

ई.

प्रौद्योगिकी (1981) 1 एस. सी. सी. 405:[1981] 2 एससीआर 490;

पंजाब नेशनल बैंक बनाम पी. के. मित्तल [1989] 2 पूरक।

एससीसी 175:[1989] 1 एस. सी. आर. 612; मोती राम बनाम परम देव (1993) 2 एस. सी. सी. 725:[1993] 2 एससीआर 250; पावर

वित्त निगम।लिमिटेड वी.प्रमोद कुमार भाटिया (1997) 4

एससीसी 280:[1997] 2 एस. सी. आर. 1170; नंद केसर प्रसाद

एफ.

v. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति।लिमिटेड (1998) 5 एस. सी. सी. 461; भारत संघ बनाम विंग कमांडर टी.

पार्थसारथी (2001) 1 एससीसी 158:[2000] 4 पूरक।

एससीआर 531; बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ. पी. स्वर्णकार (2003) 2

एससीसी 721:[2002] 5 पूरक।एस. सी. आर. 438; रिजर्व बैंक

जी.

भारत बनाम सेसिल डेनिस सोलोमन (2004) 9 एससीसी 461:

[2003] 6 पूरक।एस. सी. आर. 465; सचिव।, तकनीकी शिक्षा,

यू. पी. और अन्य बनामललित मोहन उपाध्याय (2007) 4 एससीसी 492:[2007] 4 एस. सी. आर. 976; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम.रघुवीर सिंह नारंग और एक और (2010) 5

एच.

984 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

एससीसी 335:[2010] 4 एस. सी. आर. 299; भारत संघ और

ओआरएस. वी.हितेंद्र कुमार सोनी (2014) 13 एससीसी 204:

[2014] 6 एस. सी. आर. 563-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2005] 4 पूरक।एस. सी. आर. 156 पैरा 6 (1998) 9 एस. सी. सी. 559 पैरा 6 [2002] 2 एस. सी. आर. 396 पैरा 6 [1978] 3 एस. सी. आर. 12 को संदर्भित किया गया

बी.

पैरा 8

[1987] एससीआर 1173

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

सी.

आकाशवाणी 1954 एससी 584

उस पर भरोसा करें

पैरा 10 [ए]

पैरा 10 [बी]

[1968] 3 एससीआर 857

उस पर भरोसा करें

[1981] 2 एससीआर 490

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 [ई]

[1989] 1 एससीआर 612

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 [ई]

डी.

[1993] 2 एससीआर 250

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 [ई]

[1997] 2 एससीआर 1170

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 [ई]

(1998) 5 एस. सी. सी. 461

संदर्भित किया गया है

पैरा 10 [ई]

ई.

[2000] 4 पूरक।एस. सी. आर. 531 पैरा 10 [ई] [2002] 5 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 438 पैरा 10 [ई] [2003] 6 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 465 पैरा 10 [ई] [2007] 4 एस. सी. आर. 976 पैरा 10 [ई] [2010] 4 एस. सी. आर. 299 पैरा 10 [ई] [2014] 6 एस. सी. आर. 563 पैरा 10 [ई]

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 6567

जी.

2018 के डब्ल्यू. ए. सं. 796 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.04.2018 के निर्णय और आदेश से

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री पलक चड्ढा, पी. वी. योगेश्वरन, धवल जैन, सुश्री वैशाली वर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

एच.

985

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू ए

ए.

जमशेद पी. कामा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिल कुमार मिश्रा-I, सुश्री सुरुचि कुमार, एम. कुमार अधिवक्ता।, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

बी.

अपीलार्थीगण 2 अपीलार्थीगण.अपीलार्थीगण अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणएअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणकअ
पीलार्थीगणुअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणउअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणचअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअप
ीलार्थीगणलअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणखअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणडअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणठअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपी
लार्थीगण अपीलार्थीगण 2 अपीलार्थीगण 0 अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण 8 अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणटअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणणअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणउअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणइअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण अपीलार्थीगण 2 अपीलार्थीगण 0 अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण 8 अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणटअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगण(अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण)अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणखअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण 9 अपीलार्थीगण 9 अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणएअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणुअपीलार्थीगणषअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणटअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण।अपीलार्थीगण

सी.

3. तत्काल मामले में शामिल मूल मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ काम करने वाला एक पायलट, अपना इस्तीफा वापस ले सकता है जो 03.07.2017 पर दिया गया था।

4. इस मुद्दे पर विवाद से संबंधित वैधानिक प्रावधान और संबंधित विनियम इस प्रकार हैं:-

डी.

ए] एयर क्राफ्ट एक्ट, 1934 की धारा 5,7 और 8 (2) और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एयर क्राफ्ट नियम, 1937 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए थे।नियमों का भाग XIIA "विनियामक प्रावधानों" से संबंधित है, उक्त भाग में नियम 133A निम्नानुसार हैः-

ई.

“133 ए. महानिदेशक द्वारा निर्देश।- (1) निदेशक -

जनरल, एयरमैन (एन. ओ. टी. ए. एम. एस.), एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर (ए. आई. सी.), एयरक्राफ्ट ओनर्स और मेंटेनेंस इंजीनियर्स को नोटिस और सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स नामक प्रकाशन के माध्यम से एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 (1934 का 22) या इन नियमों के साथ असंगत विशेष निर्देश जारी कर सकते हैं, जो भारत में या उसके ऊपर से उड़ान भरने वाले विमान या भारत में पंजीकृत विमान के संचालन, उपयोग, कब्जे, रखरखाव या नेविगेशन से संबंधित हैं।

एफ.

(2) उप-नियम (1) के तहत नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिनों की अवधि के लिए मसौदा रखने के बाद जारी किया जाएगा ताकि सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना हैः

जी.

एच.

बशर्ते कि महानिदेशक जनहित में और लिखित आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) के तहत जारी किए गए प्रत्येक निर्देश का पालन उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे ऐसा निर्देश जारी किया गया है।” बी] 27.10.2009 पर नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) ने "नागरिक उड्डयन आवश्यकता" (संक्षेप में 'सीएआर') जारी कियाः- “डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, टेक्निकल सेंटर, ऑपपोजिट सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली का कार्यालय।

बी.

सी.

नागरिक उड्डयन आवश्यकता

खंड 7-उड़ान क्रयू मानक प्रशिक्षण और लाइसेंस

श्रृंखला 'एक्स' भाग II

डी.

मुद्दा II, 27 अक्टूबर 2009 प्रभावीःविषय के साथ आगेःपायलटों द्वारा उन्हें नियुक्त करने वाली एयरलाइनों को 'सूचना अवधि' की आवश्यकता।

1. परिचय

ई.

1.1 यह देखा गया है कि पायलट एयरलाइनों को कोई नोटिस दिए बिना इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ मामलों में, पायलटों के समूह भी बिना किसी सूचना के एक साथ इस्तीफा दे देते हैं और इसके परिणामस्वरूप एयरलाइनों को अंतिम समय में अपनी उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।पायलटों द्वारा इस तरह के इस्तीफे और उड़ानों के परिणामस्वरूप रद्द होने से यात्रियों को असुविधा और उत्पीड़न होता है।कभी-कभी पायलटों की ओर से इस तरह की अचानक कार्रवाई एक ठोस कदम के रूप में होती है, जो एयरलाइनों को फिरौती के लिए रोकने और यात्रा करने वाली जनता को फंसे रहने के समान है।यह एक अत्यधिक अवांछनीय प्रथा है और जनहित के खिलाफ है।

एफ.

जी.

1.2 पायलटों की ओर से इस तरह की कार्रवाई विमान नियम, 1937 के नियम 39 ए के उप-नियम (2) के प्रावधानों को आकर्षित करती है, जो इस प्रकार हैः

"केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से ए में उल्लिखित किसी भी लाइसेंस या रेटिंग को रखने से रोक सकती है।

एच.

987

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

नियम 38 में यदि उसकी राय में जनहित में ऐसा करना आवश्यक है।"

2. योग्यता

2.1 यह नागरिक उड्डयन आवश्यकता विमान नियम, 1937 के नियम 3 के खंड (9 ए) में परिभाषित किसी भी हवाई परिवहन उपक्रम के नियमित रोजगार में पायलटों पर लागू होगी। 2.2 यह सी. ए. आर. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुमोदन से उनके 1 सितंबर 2005 के पत्र No.A2012/08/2005-A और 21 अक्टूबर 2009 के पत्र No.A.60015/024/2008-VE के माध्यम से जारी किया गया है।

बी.

सी.

3. आवश्यकताएँ

3.1 एक पायलट को एयरलाइन संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करने में लगभग चार महीने लगते हैं, क्योंकि उसे विमान की तकनीकी और प्रदर्शन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है, सिम्युलेटर और उड़ान प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और लाइसेंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'कौशल परीक्षण' करना पड़ता है।इस प्रशिक्षण के बाद भी पायलट केवल सह-पायलट के रूप में काम कर सकता है।पायलट-इन-कमांड (पी. आई. सी.) के रूप में एक विमान को संचालित करने के लिए, उसे अनुभव प्राप्त करने और एक विमान के पी. आई. सी. के रूप में उड़ान भरने के लिए 'कौशल परीक्षण' करने की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग चार महीने का समय लग सकता है।इसलिए, एक एयरलाइन को एक प्रशिक्षित पायलट-इन-कमांड को बदलने में चार महीने से अधिक का समय लगेगा।3.2 पायलट अत्यधिक कुशल कर्मी होते हैं और विमान और यात्रियों की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है।उन्हें यात्रा करने वाली जनता के प्रति एयरलाइनों के साथ साझा की गई जिम्मेदारी के लिए अत्यधिक भुगतान किया जाता है और उन्हें अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है।

डी.

ई.

एफ.

3.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पायलटों की ओर से छह महीने की न्यूनतम सूचना अवधि के बिना एयरलाइनों से इस्तीफे सहित कोई भी कार्य, जिसके परिणामस्वरूप उड़ानें अंतिम समय में रद्द हो सकती हैं और यात्रियों को परेशान किया जा सकता है, को जनहित के खिलाफ कार्य माना जाएगा।

जी.

3.4 इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि हवाई परिवहन उपक्रम में काम करने वाला प्रत्येक पायलट नियोक्ता को कम से कम छह महीने की 'नोटिस अवधि' देगा जो उसे हवाई जहाज छोड़ने के इरादे का संकेत देगा।

एच.

नौकरी।नोटिस अवधि के दौरान, न तो पायलट उसे सौंपे गए उड़ान कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार करेगा और न ही नियोक्ता पायलट को उसके कर्तव्यों के समनुदेशन के संबंध में उसके वैध अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करेगा।सी. ए. आर. के प्रावधानों का पालन करने में विफलता से पायलट या हवाई परिवहन उपक्रम के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, विमान नियम, 1937 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

बी.

3.5 यदि कोई हवाई परिवहन उपक्रम वेतन/भत्तों में कमी का सहारा लेता है या अन्यथा नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारी पायलट के नुकसान के लिए रोजगार के नियमों और शर्तों में बदलाव करता है, तो पायलट नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले अपनी रिहाई के लिए अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होगा और हवाई परिवहन उपक्रम उसके अनुरोध को स्वीकार करेगा।3.6 हवाई परिवहन उपक्रम के लिए छह महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने पर पायलट को एनओसी जारी करना अनिवार्य होगा, जिसमें विफल रहने पर वह डी. जी. सी. ए. द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

सी.

डी.

3.7 हालाँकि, छह महीने की 'सूचना अवधि' को कम किया जा सकता है यदि हवाई परिवहन उपक्रम एक पायलट को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदान करता है और छह महीने से पहले उसका इस्तीफा स्वीकार कर लेता है।

(डॉ. नसीम जैदी) नागरिक उड्डयन महानिदेशक "सी] यहाँ यह कहा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा 16.08.2017 पर जारी संशोधित सीएआर अब रिकॉर्ड करता है,

ई.

एफ.

“ 3.1 एयरलाइन संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान को संचालित करने के लिए एक पायलट को प्रशिक्षित करने में लगभग आठ से नौ महीने लगते हैं, क्योंकि उसे विमान की तकनीकी और प्रदर्शन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है, सिम्युलेटर और उड़ान प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और उड़ान भरने के लिए रिहा होने से पहले लाइसेंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'कौशल परीक्षण' करना पड़ता है।”

5. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने वाले तथ्य इस प्रकार थेः-

जी.

a) 15.06.2007 पर प्रत्यर्थी को 15.06.2007 से प्रभावी 5 साल के अनुबंध पर B 737-800 प्रशिक्षण के सफल समापन पर एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड द्वारा सह-पायलट के पद की पेशकश की गई थी।

एच.

989

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

बी) 26.03.2011 से बी 737-800 प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड द्वारा 28.07.2011 पर प्रत्यर्थी को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। 25.01.2017 पर उन्हें कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया।नियुक्ति के नियम और शर्तों के खंड 33 और 34 थेः-

“33 किसी भी समय कंपनी की सेवाओं को छोड़ने की आपकी इच्छा की स्थिति में, आप कंपनी को सी. ए. आर. धारा 7-उड़ान चालक दल मानक प्रशिक्षण और लाइसेंस, श्रृंखला 'एक्स' भाग II, अंक II दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 के अनुसार और समय-समय पर संशोधित न्यूनतम छह महीने के अधीन, लिखित रूप में छह महीने का नोटिस देंगे।नोटिस अवधि के दौरान आपको कंपनी की सेवा भी करनी होगी।

बी.

सी.

34. किसी भी कारण से आपकी सेवा की समाप्ति या कंपनी को छोड़ने की स्थिति में, आप कंपनी की संपत्ति, जैसे कि पहचान पत्र, उपकरण, उपकरण, किताबें, वर्दी, कंपनी आवास, यदि कोई हो, को आपके कब्जे, अभिरक्षा या शुल्क में वापस करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें विफल रहने पर आपका वजीफा/वेतन रोक दिया जाएगा और/या समकक्ष राशि की वसूली की जाएगी या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है जिसे उचित माना जाए।… …”

डी.

ग) आई. डी. 1 से कंपनी का नाम 'एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड' से बदलकर 'एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड' कर दिया गया।

ई.

घ) 03.07.2017 पर प्रत्यर्थी ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत करते हुए पहले अपीलार्थी के संचालन प्रमुख को ई-मेल के माध्यम से एक संचार भेजा।पत्र में प्रासंगिक दावे इस प्रकार थेः- "मैं, कैप्टन।जी. के. संधू, एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट के पहले बैच से हैं, जो अब 12 साल से अधिक समय से उड़ान भर रहे हैं, मेरे उड़ान करियर में एक भी स्थान नहीं है।

एफ.

मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं।कृपया इसे मेरी छह महीने की नोटिस अवधि के रूप में लें।मैं अपने इस्तीफे के कारणों को नीचे सूचीबद्ध कर रहा हूं।

जी.

… … …

अगर किसी भी समय मुझे इस दौरान अधिक समय तक घर से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मेरे लिए घर छोड़ना वैध होगा।

एच.

नोटिस अवधि को पूरा किए बिना कंपनी, क्योंकि ये उन कारणों में से सबसे कम हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है।"

ई) अपीलार्थीगण के अनुसार, उपरोक्त इस्तीफे को देखते हुए, एक प्रतिस्थापन पायलट अर्थात। कैप्टन जीवन महापात्रा को कैप्टन के रूप में 14.08.2017 पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी द्वारा उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया था, जिसकी कीमत अपीलार्थी को Rs.12,00,000/- से अधिक थी।च) 02.09.2017 पर प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए इस्तीफे को अपीलार्थीगण द्वारा निम्नानुसार स्वीकार कर लिया गया थाः-

बी.

"प्रिय महोदया,

एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाओं से आपका दिनांक 03.07.2017 का इस्तीफा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।आपके इस्तीफे की तारीख से छह महीने की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद आपकी अपेक्षित रिहाई।

सी.

यह आपकी जानकारी के लिए है।आपसे अनुरोध है कि रिलीज से पहले सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करें।"

डी.

छ) तीन महीने से अधिक समय बाद, 18.12.2017 पर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण को एक ई-मेल भेजा गया था जिसमें उनका इस्तीफा निम्नानुसार वापस लेने की मांग की गई थीः-

"आदरणीय साहब,

ई.

मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं तत्काल प्रभाव से 3 जुलाई, 2017 का अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं और अपने वर्तमान पदनाम के अनुसार कंपनी की सेवा करना जारी रखूंगा।

दयालु श्रद्धांजलि,

कैप्टन।जी. के. संधू

एफ.

कर्मचारी संख्या 76002 "

ज) 29.12.2017 पर प्रत्यर्थी के अधिवक्ताओं से एक पत्र प्राप्त हुआ कि चूंकि उसने इस्तीफा वापस ले लिया है, इसलिए प्रत्यर्थी को 02.01.2018 से भविष्य की उड़ानों के लिए रोस्टर किया जाए।इसके बाद, अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को 04.01.2018 पर एक प्रतिक्रिया भेजी गई, जिसमें कहा गया थाः-

जी.

"… …कृपया ध्यान दें कि आपके त्याग पत्र को वापस लेने के आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपका त्याग पत्र ए की स्वीकृति के कारण 03.07.2017 से प्रभावी हो गया था।

एच.

991

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

02.09.2017 दिनांकित ईमेल के माध्यम से और आपको कंपनी W. E. F. 02.01.2018 (यानी छह महीने की नोटिस अवधि W. E. F. 03.07.2017 के पूरा होने पर) की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया।… …"

6. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1991 दायर की, जिसमें दिनांकित 02.09.2017 और 04.01.2018 पत्रों को चुनौती दी गई और यह घोषणा की गई कि प्रत्यर्थी योग्य था और बिना किसी सेवा विराम के सभी सेवा लाभों को जारी रखने का हकदार था और अपीलकर्ता को प्रतिवादी को वेतन और अन्य सेवा शर्तों को तुरंत वितरित करने का निर्देश दिया जाए।रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22.02.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। विवादित विवाद पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा की गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।सी. ए. आर. (Ext.P3) के प्रावधानों पर विचार किया गया और श्रीकंठ एस. एम. बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया गया।भारत अर्थ मूवर्स

बी.

सी.

लि. 1, जे. एन. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य 2, शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और

अन्य 3 में यह देखा गया कि प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया इस्तीफा वास्तव में सेवा से मुक्त होने से पहले उसके द्वारा वापस लिया जा सकता है।एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकालाः

डी.

"वर्तमान मामले में भी चूंकि इस्तीफा 02.01.2018 से प्रभावी होना था, इसलिए याचिकाकर्ता बहुत अच्छी तरह से अपना इस्तीफा वापस ले सकती थी और प्रत्यर्थीगण इसे रोक नहीं सकते थे या इसे खारिज नहीं कर सकते थे।इस मामले में Ext.p3 के खंड 3 के तहत प्रत्यर्थीगणओं पर इस्तीफे की स्वीकृति पर एनओसी जारी करने का एक और दायित्व है।इस तरह का अनापत्ति प्रमाण पत्र तब भी नहीं दिया जाता है जब उन्होंने Ext.P8 पत्र जारी किया हो और 02.01.2018 के बाद से अपना कर्तव्य सौंपने से इनकार कर दिया हो।"

ई.

एफ.

7. पीड़ित अपीलार्थीगण ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ 2018 की रिट अपील No.796 दायर की।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने 09.04.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा चुनौती को खारिज कर दिया जो वर्तमान में चुनौती के अधीन है।डिवीजन बेंच ने

एकल न्यायाधीश द्वारा नोट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया और निष्कर्ष निकालाः“उक्त विषय पर कानून की स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है।एक कर्मचारी के संबंध में जिसने एक प्रस्तुत किया

जी.

1 (2005) 8 एससीसी 314 2 (1998) 9 एससीसी 559 3 (2002) 3 एससीसी 437

एच.

त्यागपत्र के लिए आवेदन, उनके लिए नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले इसे वापस लेने के लिए खुला होगा।.....यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही अपीलार्थीगण ने दावा किया कि इस्तीफे का Ext.P2 पत्र स्वीकार कर लिया गया था, Ext.P5 की अवधि से पता चलता है कि उसे केवल नोटिस की अवधि समाप्त होने पर ही स्वीकार करने का आदेश दिया गया था।उस संदर्भ में, Ext.P5 अक्षर को संदर्भित करना प्रासंगिक है।”8. इस अपील में हमने अपीलार्थीगण की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान और प्रत्यर्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जमशेद पी. कामा को सुना।

बी.

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सामान्य परिस्थितियों में एक कर्मचारी जिसने इस्तीफा दे दिया था, वह इस तरह के इस्तीफे के प्रभावी होने से पहले इस्तीफे को वापस लेने के अपने अधिकार के भीतर होगा, लेकिन इस अदालत के फैसलों ने नियम के दो अपवादों को स्वीकार किया।उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

सी.

भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा 4 और बलराम गुप्ता बनाम

भारत संघ और अन्य 5 ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि सीएआर द्वारा स्वीकार किया गया है कि पायलटों की स्थिति एक अलग आधार पर खड़ी है और एक पायलट के लिए एक प्रतिस्थापन या विकल्प खोजने के लिए संबंधित नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने में कुछ खर्च करने की आवश्यकता होगी।इन परिस्थितियों में, सीएआर ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे और जनहित में कुछ विशेष प्रावधान किए थे।अपीलार्थीगण ने पहले ही एक विकल्प खोजने और प्रशिक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए थे और इस तरह तत्काल मामला इस न्यायालय के फैसलों में स्वीकार किए गए अपवादों के भीतर आया।दूसरी ओर, श्री जमशेद पी. कामा,

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय है कि एक कर्मचारी प्रभाव में आने या संचालन में आने से पहले इस्तीफे को वापस ले सकता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र एक संभावित तिथि से प्रभावी होना था और इसलिए प्रत्यर्थी प्रभावी होने से पहले त्यागपत्र वापस लेने का हकदार था।उनके अनुसार, यह तथ्य कि अपीलार्थी को किसी अन्य पायलट को प्रशिक्षित करने में खर्च करना पड़ता था, इसका कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि एयर इंडिया के आकार के संगठन के लिए पायलटों की आवश्यकता और परिणामी प्रशिक्षण एक नियमित विशेषता होगी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी को अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद,

4 (1978) 2 एस. सी. सी. 301

5 1987 (सप) एस. सी. सी. 228 ए

एच.

993

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ समय के लिए जेट एयरवेज में पायलट के रूप में कार्यरत थी।हालांकि, जेट एयरवेज के संचालन के बंद होने के साथ, वह वर्तमान में किसी भी एयरलाइन में पायलट के रूप में कोई पद नहीं संभाल रही हैं।

10. जिन परिस्थितियों में एक कर्मचारी अपने द्वारा दिए गए इस्तीफे को वापस ले सकता है और इस तरह के अधिकार के प्रयोग की क्या सीमाएँ हैं, इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निपटा गया है।

बी.

ए] जय राम बनाम भारत संघ 6 में, संबंधित सरकार

नौकर को 26.11.1946 पर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करनी थी।उन्होंने मौलिक नियम 86 के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी के लिए 07.05.1945 पर आवेदन किया। अनुरोध को अंततः स्वीकार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की छुट्टी दी गई जो

25.05.1947 पर समाप्त होने वाली थी।इस तरह की समाप्ति से दस दिन पहले यानी 16.05.1947 पर, उन्होंने एक सूचना भेजी कि वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे, जिसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।इस दलील को कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।यह निवेदन कि मौलिक नियमों के अध्याय IX के नियम 56 (बी) (i) के संदर्भ में, यदि कुशल पाया जाता है, तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रह सकता था, को अस्वीकार कर दिया गया।यह देखा गया कि जब कोई लोक सेवक स्वयं सेवा में बने रहने में असमर्थता व्यक्त करता है और सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति मांगता है, तो उक्त नियम 56 (बी) (आई) के संदर्भ में यह तय करने के लिए आवश्यक अभ्यास किया गया था कि उसे 55 वर्ष की आयु से आगे जारी रखा जाए या नहीं और उसके लिए सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष होगी।इस संदर्भ में कि क्या वह 16.05.1947 पर कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा यह टिप्पणी की गई थीः- "यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह एक नौकर के लिए खुला है, जिसने सेवा से सेवानिवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की है और अपने वरिष्ठ अधिकारी से उसे आवश्यक अनुमति देने के लिए आवेदन किया है, कि वह बाद में अपना मन बदले और इस प्रकार प्राप्त अनुमति को रद्द करने के लिए कहे; लेकिन उसे तब तक ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि वह सेवा में बना रहे और उसके समाप्त होने के बाद नहीं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जैसा कि हमने ऊपर कहा है, वादी की सेवा 27 नवंबर 1946 को समाप्त हो गई; छुट्टी, जो उसे उस तारीख के बाद दी गई थी, सेवानिवृत्ति के बाद की छुट्टी थी जो एफ. आर. 86 में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में दी गई थी।26 नवंबर 1946 के बाद उन्हें सेवा में बने रहने के लिए नहीं रखा जा सका, और परिणामस्वरूप यह अब सक्षम नहीं था

जी.

6 आकाशवाणी 1954 एससी 584

एच.

उन्हें 16 मई 1947 को अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए आवेदन करना था, भले ही सेवानिवृत्ति के बाद की छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई थी।हमारी राय में, उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच का निर्णय सही है और इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

B] राज कुमार बनाम भारत संघ 7 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को 30.08.1964 पर एक पत्र संबोधित किया कि इसे राज्य सरकार की टिप्पणियों के साथ भारत सरकार को भेजा जा सकता है।राज्य सरकार ने इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश की और भारत सरकार ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे उस तारीख को सूचित करें जिस दिन अपीलार्थी को उनके कर्तव्यों से मुक्त किया गया था ताकि उस ओर से एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सके।इससे पहले कि तारीख की सूचना दी जा सके और औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सके, अधिकारी ने 27.11.1964 दिनांकित पत्र द्वारा अपना इस्तीफा वापस ले लिया।29.03.1965 पर उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया गया था।अधिकारी द्वारा उठाई गई चुनौती को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने माना कि इस्तीफा उस तारीख से प्रभावी हो गया जब भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था।अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहाः- "अपीलार्थी द्वारा 21 अगस्त, 1964 और 30 अगस्त, 1964 को लिखे गए पत्रों से यह संकेत नहीं मिला कि इस्तीफा तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसकी स्वीकृति की सूचना अपीलार्थी को नहीं दी जाती।अपीलार्थी ने राजस्थान राज्य के अधिकारियों को सूचित किया कि उनका इस्तीफा शीघ्र स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। पत्रों की स्पष्ट शर्तों पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाना था।संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कोई नियम नहीं बनाया गया है जो यह अधिनियमित करता है कि इस्तीफे को स्वीकार करने के आदेश को प्रभावी होने के लिए, इसे अपना इस्तीफा जमा करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह हरिका (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. आर. 1313) मामले में इस न्यायालय के एक फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश और इसे संबंधित अधिकारी को सूचित किए बिना या अन्यथा प्रकाशित किए बिना अपनी फाइल में रखा गया था, जो उस तारीख से प्रभावी नहीं हुआ जिस दिन आदेश वास्तव में उक्त प्राधिकारी द्वारा लिखा गया था।

जी.

7 (1968) 3 एससीआर 857 ए

एच.

995

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ऐसा आदेश संबंधित अधिकारी को सूचित किए जाने या अन्यथा प्रकाशित किए जाने के बाद ही प्रभावी हो सकता है।उस मामले के सिद्धांत का यहाँ कोई अनुप्रयोग नहीं है।सरकार द्वारा पारित आदेश द्वारा नौकरी की समाप्ति तब तक प्रभावी नहीं होती है जब तक कि आदेश कर्मचारी को सूचित नहीं किया जाता है।लेकिन जहां एक लोक सेवक ने अपने इस्तीफे के पत्र द्वारा अपनी नौकरी के निर्धारण के लिए आमंत्रित किया है, उसकी सेवाएं आम तौर पर उस तारीख से समाप्त हो जाती हैं जिस दिन उचित प्राधिकारी द्वारा इस्तीफे का पत्र स्वीकार किया जाता है और इसके विपरीत अपनी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी कानून या नियम के अभाव में, लोक सेवक के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए खुला नहीं होगा।जब तक इस्तीफे को स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित लोक सेवक के पास अधिकार होता है लेकिन उसके बाद नहीं।संबंधित लोक सेवक को इस्तीफे के पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने में अनुचित देरी इस निष्कर्ष को उचित ठहरा सकती है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है।वर्तमान मामले में इस्तीफा भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने के कुछ ही समय के भीतर स्वीकार कर लिया गया था।जाहिरा तौर पर राजस्थान राज्य ने आदेश को तुरंत लागू नहीं किया, और अपीलार्थी को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया, लेकिन अपीलार्थी स्वीकृति की सूचना देने में देरी या उसे अपने कर्तव्यों से मुक्त करने से लाभ नहीं उठा सकता है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

C] भारत संघ और अन्य बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा

और अन्य 4 विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसने राष्ट्रपति को अपने हाथ से पत्र भेजकर भविष्य की तारीख से प्रभाव से पद से इस्तीफा देने के अपने इरादे की सूचना दी थी, वह तारीख पहुंचने से पहले इस्तीफा वापस लेने में सक्षम होगा?जय राम 6 और राज कुमार 7 के फैसलों पर विचार किया गया और संविधान के

अनुच्छेद 217 के परंतुक के खंड (ए) के दायरे से निपटने के दौरान, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहाः- “20. यहाँ, इस मामले में, हमें परंतुक के खंड (ए) पर ध्यान केंद्रित करना होगा।इस खंड के तहत अपने कार्यकाल को समाप्त करने के लिए, न्यायाधीश को तीन स्वैच्छिक कार्य करने होंगेःसबसे पहले, उसे "अपने हाथ के नीचे एक लेखन" निष्पादित करना चाहिए।दूसरा, लेखन "राष्ट्रपति को संबोधित" होना चाहिए।तीसरा, उस लेखन से उन्हें "अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।"यदि इनमें से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, या

एफ.

जी.

एच.

उनमें से किसी का भी प्रदर्शन पूर्ण नहीं है, खंड (ए) उनके पद के कार्यकाल को कम करने या समाप्त करने के लिए काम नहीं करेगा।

22. यह देखा जा सकता है कि इस तर्क की पूरी इमारत इस धारणा पर आधारित है कि "न्यायाधीश" ने वह सब कुछ पूरी तरह से किया था जो उसे अनुच्छेद 217 (1) के परंतुक (ए) के तहत करने की आवश्यकता थी।हमने देखा है कि एक न्यायाधीश को अपने एकतरफा कार्य से अपने कार्यकाल को समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे तीन काम करने होते हैं।तत्काल मामले में, पहले दो के प्रदर्शन के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है, अर्थात्ः((i) उन्होंने अपने हाथ के नीचे एक पत्र लिखा, (ii) राष्ट्रपति को संबोधित किया।इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए अनुपातिक भवन के पहले दो स्तंभ ठोस नींव पर आधारित हैं।लेकिन, क्या तीसरे के बारे में भी यही सच है, जो निर्विवाद रूप से उस इमारत का मुख्य आधार है?क्या यह परंतुक (ए) के विचार के भीतर इस्तीफे का एक पूर्ण कार्य है?यह प्राथमिक प्रश्न है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है।यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में पाया जाता है, तो अपील विफल होनी चाहिए।यदि यह नकारात्मक होता है, तो उच्च न्यायालय के तर्क का आधार विफल हो जाएगा और अपील सफल हो जाएगी।”

बी.

सी.

डी.

कार्यकाल और इस्तीफे के प्रभाव पर तब पैराग्राफ 28 में विचार किया गया और यह माना गया कि विचाराधीन पत्र केवल भविष्य की तारीख पर पद से इस्तीफा देने की सूचना या नोटिस था और यह संकेतित भविष्य की तारीख के आने से पहले इस्तीफे को वापस लेने के लिए खुला था।अवलोकन इस प्रकार थेः-

ई.

"28. इस पत्र का मूल भाग (जिसे इस निर्णय के पूर्वगामी भाग में पूरी तरह से निकाला गया है) केवल तीन वाक्यों से बना है।पहले वाक्य में कहा गया हैः"मैं इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने पद से इस्तीफा देता हूं।" यदि यह सजा अकेले थी, या इस पत्र की एकमात्र सामग्री थी, तो यह प्रेजेंटी में पूर्ण इस्तीफे के रूप में काम करेगी, जिसमें पद का तत्काल त्याग और न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति शामिल होगी।लेकिन ऐसा नहीं है।पहले वाक्य के तुरंत बाद दो और वाक्य आते हैं, जिनमें लिखा होता हैः"मैं 31 जुलाई, 1977 तक छुट्टी पर रहूंगा।मेरा इस्तीफा 1 अगस्त, 1977 से प्रभावी होगा।" पहले वाक्य को अन्य दो वाक्यों के संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है और अलग से समझा नहीं जा सकता है।इसे उन दोनों के साथ पढ़ना होगा जो इसके योग्य हैं।समग्र रूप से अपने कार्यकाल के अनुसार, 7 मई, 1977 का पत्र केवल लेखक के ए के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के इरादे की सूचना या सूचना है।

एफ.

जी.

एच.

997

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

न्यायाधीश, भविष्य की तारीख पर। 1 अगस्त, 1977।सुविधा के लिए, हम इस संचार को एक संभावित या संभावित इस्तीफे के रूप में कह सकते हैं, लेकिन संकेतित भविष्य की तारीख के आने से पहले यह निश्चित रूप से एक पूर्ण और सक्रिय इस्तीफा नहीं था क्योंकि, अपने आप में, यह लेखक को न्यायाधीश के पद से अलग नहीं करता था और न ही कर सकता था, या उनके कार्यकाल को समाप्त कर सकता था।"

बी.

न्यायालय ने सिद्धांतों को इस प्रकार बतायाः-

"41. पूर्वगामी परिप्रेक्ष्य से जो सामान्य सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि पद/पद के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में कुछ भी विपरीत नहीं होने पर, पदधारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भविष्य में निर्दिष्ट तिथि से अपने पद/पद से इस्तीफा देने के अपने इरादे

या प्रस्ताव की लिखित सूचना उसके द्वारा प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस ली जा सकती है, यानी इससे पहले कि वह पद/पद या रोजगार के कार्यकाल की समाप्ति को प्रभावित करता है।

सी.

50. यह दोहराया जाएगा कि सामान्य सिद्धांत यह है कि कानूनी, संविदात्मक या संवैधानिक प्रतिबंध के अभाव में, "संभावित" इस्तीफे को प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, और यह तब प्रभावी हो जाता है जब यह इस्तीफा देने वाले के रोजगार या पद-कार्यकाल को समाप्त करने के लिए काम करता है।यह सामान्य नियम सरकारी कर्मचारियों और संवैधानिक अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है।एक सरकारी कर्मचारी/या पदाधिकारी/के मामले में, जो अपनी सेवा/या पद की शर्तों के तहत, इस्तीफ़ा देने के अपने एकतरफा कार्य द्वारा, अपनी सेवा/या पद नहीं छोड़ सकता है, आम तौर पर, इस्तीफे की निविदा प्रभावी हो जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर उसकी सेवा/या पद-कार्यकाल समाप्त हो जाता है।उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, जो एक संवैधानिक पदाधिकारी है और अनुच्छेद 217 (1) के परंतुक (ए) के तहत उसे अपने पद से इस्तीफा देने का एकतरफा अधिकार या विशेषाधिकार है, उसका इस्तीफा प्रभावी हो जाता है और कार्यकाल उस तारीख को समाप्त हो जाता है जिस तारीख से वह अपनी इच्छा से पद छोड़ने का विकल्प चुनता है।यदि राष्ट्रपति को संबोधित लेखन के संदर्भ में, वह राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो इस्तीफा उनके पद-कार्यकाल को तुरंत समाप्त कर देता है, और इसलिए, इसके बाद वापस नहीं लिया जा सकता है या रद्द नहीं किया जा सकता है।लेकिन, यदि वह इस तरह के लेखन से भविष्य की तारीख से इस्तीफा देने का विकल्प चुनता है, तो पद से इस्तीफा देने का कार्य पूरा नहीं होता है क्योंकि यह उस तारीख से पहले उसका कार्यकाल समाप्त नहीं करता है और न्यायाधीश उस संभावित तारीख के आने से पहले किसी भी समय कर सकता है जिस पर वह इस्तीफा दे सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रभावी होने का इरादा था, इसे वापस लें, क्योंकि संविधान इस तरह की वापसी पर रोक नहीं लगाता है।"

जय राम 6 में नियम की प्रयोज्यता के संबंध में कहा गया थाः- "49. हमारी राय में, जय राम मामले के अनुपात से बाहर निकलने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त कारणों में से कोई भी वैध नहीं है।सबसे पहले, यह एक "आकस्मिक" उच्चारण नहीं था।जय राम की ओर से प्रचार किए गए दूसरे बिंदु का प्रभावी और पूरी तरह से निपटारा करना आवश्यक था। इसके अलावा, यही सिद्धांत 1968 में राज कुमार मामले में स्पष्ट रूप से दोहराया गया था।दूसरा, सेवा/पद से सेवानिवृत्त होने का प्रस्ताव और चर्चा के तहत मुद्दे के उद्देश्य के लिए भविष्य की तारीख से पद से इस्तीफा देने के लिए एक निविदा, एक ही आधार पर खड़ी होती है।तीसरा, ऐसे मामले में जहां इस्तीफे को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है और जहां किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, के बीच अंतर से जय राम मामले में नियम की प्रयोज्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।"

बी.

सी.

डी] बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ 5 में संबंधित अधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग में एक लेखाकार था।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मामला राज कुमार 7 और गोपाल चंद्र मिश्रा 4 में इस न्यायालय के निर्णयों में शामिल था, इस न्यायालय ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों पर विचार किया और कहाः

डी.

"12. इस मामले में दिशानिर्देश यह हैं कि सामान्य रूप से अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि संबंधित अधिकारी यह दिखाने की स्थिति में न हो कि उन परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है जिन पर विचार करते हुए मूल रूप से नोटिस दिया गया था।तत्काल मामले के तथ्यों में ऐसा संकेत दिया गया है।अपीलार्थी ने कहा है कि कर्मचारी सदस्यों के लगातार और व्यक्तिगत अनुरोधों पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विचार छोड़ दिया था।हम यह नहीं समझते कि यह कैसे एक अच्छा और वैध कारण नहीं हो सकता है।यह सच है कि वह इस्तीफा दे रहे थे और इस्तीफे के नोटिस में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने के अलावा कोई कारण नहीं बताया था।हम इसमें कुछ भी गलत नहीं देखते हैं।आधुनिक युग में हमें लोगों की पसंद या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।हालाँकि, यदि प्रशासन ने उनके इस्तीफे या सेवानिवृत्ति पत्र पर कार्रवाई करते हुए अन्य कर्मचारी को उनकी नौकरी के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी, तो यह एक अलग मामला होगा, लेकिन अपीलार्थी का सेवानिवृत्त होने और उसे वापस लेने का प्रस्ताव इतने त्वरित क्रम में हुआ कि यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

999

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

प्रशासनिक व्यवस्था या व्यवस्था प्रभावित हुई।प्रशासन को अब इस मामले को संप्रेषित करने के लिए अपने स्वयं के रवैये से लंबा समय लगा है।इसके लिए प्रत्यर्थी दोषी है न कि अपीलार्थी।"

ई) भारत संघ और अन्य बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा 4 में निर्धारित सिद्धांतों का तब से इस न्यायालय द्वारा पालन किया जा रहा है।

बी.

पी. कासिलिंगम बनाम पी. एस. जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 8, पंजाब नेशनल बैंक बनाम पी. के. मित्तल 9, मोती राम बनाम परम देव 10, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन। लिमिटेड बनाम।प्रमोद कुमार भाटिया 11 नंद केशर प्रसाद बनाम भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति।लिमिटेड 12, जे. एन. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य 2, भारत संघ बनाम विंग कमांडर टी. पार्थसारथी 13, शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रॉक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड 3, बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ. पी. स्वर्णकार 14, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम सेसिल डेनिस सोलोमन 15, श्रीकांत एस. एम. बनाम। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1, सचिव।, तकनीकी शिक्षा, यू. पी. और अन्य।बनाम ललित मोहन उपाध्याय 16, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।रघुवीर सिंह नारंग और अन्य 17 और भारत संघ और अन्य।बनाम हितेंद्र कुमार सोनी 18.

सी.

डी.

च) पंजाब नेशनल बैंक बनाम। पी. के. मित्तल 9 एक स्थायी अधिकारी

बैंक ने पीएनबी (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 के विनियमन 20 के संदर्भ में 21.01.1986 पर त्याग पत्र भेजा, जो 30.06.1986 पर प्रभावी होना था।दिनांक 07.02.1986 के संचार द्वारा, उन्हें सूचित किया गया कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है।अधिकारी द्वारा 15.04.1986 पर इस्तीफा वापस ले लिया गया था।इसलिए यह मुद्दा उक्त विनियमन 20 के संदर्भ में उठा, कि क्या अधिकारी इस्तीफा वापस ले सकता है। विनियम 20 इस प्रकार थाः

ई.

“20. (1) विनियमन 16 के उप-विनियमन (3) के अधीन, बैंक किसी भी अधिकारी को तीन पद देकर उसकी सेवा समाप्त कर सकता है।

एफ.

8 (1981) 1 एस. सी. सी. 405

9 (1989) पूरक 2 एससीसी 175 10 (1993) 2 एससीसी 725 11 (1997) 4 एससीसी 280 12 (1998) 5 एससीसी 461 13 (2001) 1 एससीसी 158 14 (2003) 2 एससीसी 721 15 (2004) 9 एससीसी 461 16 (2007) 4 एससीसी 492 17 (2010) 5 एससीसी 335 18 (2014) 13 एससीसी 204

जी.

एच.

महीनों का नोटिस लिखित रूप में या उसके बदले में उसे तीन महीने का वेतन देकर।

(2) कोई भी अधिकारी ऐसे इस्तीफे के लिखित नोटिस के साथ सेवा से तीन महीने की समाप्ति के अलावा बैंक की सेवा से इस्तीफा नहीं देगाः

बी.

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि को कम कर सकता है, या नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।” यह निवेदन कि विनियमन 20 का खंड 2 और इसके परंतुक का उद्देश्य केवल बैंक के हित की रक्षा करना था और इस तरह बैंक उस तारीख से पहले इस्तीफे को स्वीकार कर सकता था जब यह लागू होने वाला था, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों में खारिज कर दिया गया थाः

सी.

7. डॉ. आनंद प्रकाश इस बात पर जोर देते हैं कि खंड (2) और इसके प्रावधान का उद्देश्य केवल बैंक के हितों की रक्षा करना है, उनकी व्याख्या उनके द्वारा सुझाए गए तर्ज पर की जानी चाहिए।हमारी राय है कि विनियमन के खंड (2) और इसके परंतुक का उद्देश्य न केवल बैंक की सुरक्षा के लिए है, बल्कि कर्मचारी के लाभ के लिए भी है।यह सर्वविदित है कि इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति अक्सर इस निर्णय में डगमगा जाता है और ऐसे मामले में भी जहां उसने इस्तीफा देने का दृढ़ निर्णय लिया है, वह तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो सकता है।ज्यादातर मामलों में उन्हें समायोजन की अवधि की

आवश्यकता होगी और इसलिए विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से कुछ महीनों के लिए कर्तव्यों से राहत की वास्तविक तिथि को स्थगित करना चाहते हैं।समान रूप से एक नियोक्ता इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को मुक्त करने से पहले कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समय निकालना पसंद कर सकता है।खंड (2) को इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक लिखा गया है।यह कर्मचारी को समायोजन और पुनर्विचार की अवधि देता है।यह बैंक को अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय देने में भी सक्षम बनाता है, एक उचित मामले में, किसी कर्मचारी के इस्तीफे को स्वीकार करने की स्वतंत्रता के साथ, आवश्यक सूचना के बिना भी यदि वह चाहता है।हमारी राय में परंतुक की व्याख्या इस रूप में नहीं की जानी चाहिए कि एक बैंक किसी कर्मचारी पर उस तारीख से अलग प्रभाव से इस्तीफा दे सकता है जिस पर वह विनियमन की शर्तों के तहत अपना इस्तीफा प्रभावी बना सकता है।इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि वर्तमान मामले में कर्मचारी का इस्तीफा केवल 21-4-1986 या 30-6-1986 को या उसके आसपास ही प्रभावी हो सकता था और बैंक उस इस्तीफे को "स्वीकार" नहीं कर सकता था

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1001

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

किसी भी पूर्व तिथि पर।इसलिए, 7-2-1986 दिनांकित पत्र अधिकार क्षेत्र के बिना था।

8. उपरोक्त व्याख्या का परिणाम यह है कि कर्मचारी 21-4-1986 या 30-6-1986 तक सेवा में बना रहा, जिस तारीख को उसकी सेवाएं सामान्य रूप से उसके दिनांकित 21-1-1986 पत्र के संदर्भ में समाप्त हो गई होंगी।लेकिन, उस समय तक, उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया था।चूंकि निकासी पत्र त्यागपत्र के प्रभावी होने से पहले लिखा गया था, इसलिए त्यागपत्र वापस ले लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी बैंक की सेवा में बना रहता है।यह सच है कि नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो कर्मचारी को इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देता है।हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कोई विशिष्ट नियम होना चाहिए।जब तक इस्तीफा विनियमन 20 के साथ पढ़े गए पत्र की शर्तों पर प्रभावी नहीं हो जाता है, तब तक कर्मचारी के लिए, सामान्य सिद्धांतों पर, अपने इस्तीफे के पत्र को वापस लेने के लिए खुला है।यही कारण है कि सार्वजनिक सेवाओं के कुछ मामलों में, निकासी का यह अधिकार भी नियोक्ता की अनुमति के अधीन किया जाता

है।यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।इस बिंदु को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राज कुमार बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

बी.

सी.

डी.

गोपाल चंद्र मिश्रा और बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ।

11. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर, जब तक इस्तीफा प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारी अपना इस्तीफा वापस ले सकता है।त्यागपत्र कब प्रभावी होगा, यह शासी सेवा विनियमों और/या कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों पर निर्भर हो सकता है।जैसा कि गोपाल चंद्र मिश्रा 4 में पैराग्राफ 41 और 50 में कहा गया है, "पद/पद के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में कुछ भी विपरीत के अभाव में" या "कानूनी संविदात्मक या संवैधानिक प्रतिबंध के अभाव में, एक 'संभावित त्यागपत्र' को प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है"।इसके अलावा, जैसा कि बलराम गुप्ता 5 में निर्धारित किया गया है, "हालाँकि, यदि प्रशासन ने उनके इस्तीफे या सेवानिवृत्ति पत्र पर कार्रवाई करते हुए अन्य कर्मचारी को उनकी नौकरी के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी, तो यह अलग बात होगी।"

ई.

एफ.

जी.

12. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में यह मुद्दा कि क्या प्रत्यर्थी अपना त्याग पत्र वापस ले सकती थी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों पर निर्भर करता हैः

एच.

क) क्या सी. ए. आर. में सूचना अवधि की शर्त का उद्देश्य कर्मचारी के हितों की रक्षा करना है?; और

ख) क्या सी. ए. आर. के प्रावधान और उसमें निर्धारित शासी सिद्धांत गोपाल चंद्र मिश्रा 4 में निर्णय के पैराग्राफ 41 और 50 और बलराम गुप्ता 5 में निर्णय के पैराग्राफ 12 में निर्धारित अपवाद के भीतर आने वाले विशेष प्रावधानों की प्रकृति में हैं, जिससे प्रत्यर्थी अपना इस्तीफा वापस लेने से अक्षम हो जाता है?

बी.

13. सीएआर स्वीकार करता है कि एक विमान को संचालित करने के लिए एक पायलट को प्रशिक्षित करने में काफी समय लगता है और प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में, नए पदधारी को तकनीकी और प्रदर्शन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी और उसे सिम्युलेटर और उड़ान प्रशिक्षण से गुजरना होगा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल परीक्षण करना होगा।इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद भी, उक्त व्यक्ति केवल सह-पायलट के रूप में काम करेगा जब तक कि वह एक पायलट के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता।सीएआर का कहना है कि छह महीने की न्यूनतम सूचना के बिना इस्तीफे के परिणामस्वरूप अंतिम समय में उड़ानें रद्द हो सकती हैं और यात्रियों को परेशान किया जा सकता है।चूँकि पायलट अत्यधिक कुशल कर्मी होते हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि पायलटों की ओर से छह महीने की न्यूनतम सूचना अवधि के बिना एयरलाइनों से इस्तीफे सहित किसी भी कार्य को जनहित के खिलाफ कार्य माना जाएगा।इसलिए, सी. ए. आर. प्रदान करता हैः-

सी.

डी.

ई.

क) नोटिस अवधि के दौरान न तो पायलट उड़ान कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार करेगा और न ही नियोक्ता पायलट को उसके वैध अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करेगा।

ख) यदि हवाई परिवहन उपक्रम वेतन/भत्तों में कमी करता है, तो पायलट नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी रिहाई के लिए अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होगा।

एफ.

ग) सूचना अवधि की समाप्ति पर हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा एक उपयुक्त एन. ओ. सी. जारी किया जाएगा।

घ) हालांकि छह महीने की नोटिस अवधि को कम किया जा सकता है यदि पायलट को एनओसी प्रदान की जाती है और उसका इस्तीफा छह महीने से पहले स्वीकार कर लिया जाता है।

जी.

सी. ए. आर. के प्रावधानों के संदर्भ में, तत्काल मामले में नियुक्ति के नियमों और शर्तों में विशेष रूप से कहा गया है कि यदि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की सेवाओं को छोड़ना चाहती है तो वह छह महीने का नोटिस देगी।

एच.

1003

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्ट। गुरदर्शन कौर संधू [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

14. अनिवार्य सूचना अवधि को निर्धारित करने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत और मूल विचार जनहित है।यह कर्मचारी के हित की रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए है।यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतिम समय में उड़ानें रद्द न हों जिससे यात्रियों को भारी असुविधा न हो।यही कारण है कि संबंधित पायलट को नोटिस अवधि की समाप्ति तक सेवा करने की आवश्यकता होती है।यदि संबंधित पायलट को एन. ओ. सी. दी जाती है और नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो नोटिस की अवधि कम हो सकती है।किसी मामले में, यह संभव हो सकता है कि पायलट को बदलने के लिए प्रशिक्षित श्रमशक्ति, जिसने इस्तीफा दे दिया था, ऐसी सूचना अवधि की समाप्ति से पहले उपलब्ध कराई जा सकती है, जिस स्थिति में नियोक्ता को सीएआर के खंड 3.7 के तहत एक विकल्प दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी, मार्गदर्शक विचार या मापदंड जनहित है।

बी.

सी.

इसलिए, सूचना अवधि की शर्त केवल लोक हित को कम करने के लिए है और इसे हवाई परिवहन उपक्रम या नियोक्ता को एक उपयुक्त प्रतिस्थापन या विकल्प खोजने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है।नौकरी प्रोफ़ाइल की प्रकृति से एक पायलट के लिए एक प्रतिस्थापन इतनी आसानी से नहीं आता है और इसलिए, छह महीने की अवधि।सीएआर इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संबंधित प्रतिस्थापन को एक योग्य विकल्प बनने से पहले प्रशिक्षित करने के लिए काफी खर्च और प्रयासों की आवश्यकता होगी।नोटिस अवधि हवाई परिवहन उपक्रम या नियोक्ता को उस दिशा में खुद को तैयार करने में सक्षम बनाती है और उसे एक विकल्प या प्रतिस्थापन खोजने के लिए बाध्य करती है।एक उपयुक्त प्रतिस्थापन खोजने का दायित्व त्याग पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा इस तरह के दायित्व के निर्वहन के लिए कदम उठाए गए थे और कैप्टन जीवन महापात्रा को प्रतिस्थापित किया गया था।सामान्य सिद्धांत कि एक कर्मचारी इस्तीफे के प्रभावी होने से पहले किसी भी समय अपना इस्तीफा वापस ले सकता है, इसलिए सीएआर के मूल सिद्धांतों के अधीन होगा। हमारे विचार में, तत्काल मामला, इसलिए, गोपाल

चंद्र मिश्रा 4 में निर्णय के पैराग्राफ 41 और 50 और बलराम गुप्ता 5 में निर्णय के पैराग्राफ 12 में निर्धारित अपवाद के भीतर होगा, और प्रत्यर्थी इस्तीफा वापस नहीं ले सकता था।15. त्याग पत्र पर अब चर्चा को पूरा करने के लिए विचार किया जा सकता है।03.07.2017 दिनांकित उक्त त्याग पत्र में तीन प्रासंगिक कथन थेः-

डी.

ई.

एफ.

जी.

1. मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं।

एच.

2. कृपया इसे मेरी छह महीने की नोटिस अवधि मान लें।

3. अगर किसी भी समय मुझे इस दौरान अधिक समय तक घर से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मेरे लिए नोटिस अवधि पूरी किए बिना कंपनी छोड़ना वैध होगा, क्योंकि ये सबसे कम कारण हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है।

पहले वाक्य से पता चलता है कि सूचना स्पष्ट थी कि प्रत्यर्थी इस्तीफा दे रहा था।निम्नलिखित सजा छह महीने की नोटिस अवधि को संदर्भित करती है, जो सी. ए. आर. और नियुक्ति के नियमों और शर्तों के तहत आवश्यकता है।तीसरे वाक्य ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि यदि प्रत्यर्थी को नोटिस अवधि के दौरान अधिक समय तक घर से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था, तो उसके लिए नोटिस अवधि पूरी किए बिना कंपनी छोड़ने की छूट होगी।इस प्रकार नोटिस की अवधि केवल सीएआर की आवश्यकताओं के संदर्भ में थी। 16.इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि प्रत्यर्थी दिनांकित 03.07.2017 त्याग पत्र को वापस नहीं ले सकता था।इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को दरकिनार करते हैं और 2018 की रिट याचिका (दीवानी) No.1991 को खारिज करते हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बी.

सी.

डी.

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.